न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 22/2019 राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959

GCMS No. 2019/00176

लक्ष्मणराम बिश्नोई पुत्र श्री भारमलराम बिश्नोई निवासी अलाय तहसील नोखा जिला बीकानेर।

— अपीलान्ट

बनाम

प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास बीकानेर।

— रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री मदन सुरोलिया अभिभाषक अपीलांट

निर्णय

दिनांक 13.03.2023

यह अपील राजस्थान राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 90–ए(9) के अन्तर्गत नगर विकास न्यास बीकानेर के आदेश दिनांक 28.08.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि –

1– अपीलांट द्वारा अपने भू–खण्ड संख्या 214, सर्व सिद्धि नगर (प्रथम) में पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में नियत प्रपत्र में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि कृषि से अकृषि में नियमन/रूपांतरण करने का आवेदन किया। राज्य सरकार के प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जारी आदेश दिनांक 09.01.2014 की परिधि में आने से ऐसे समस्त आवेदनों पर पट्टा जारी करने की कार्यवाही आदेशानुसार प्रभाव में नहीं ली गई।

उक्त कार्यवाही से व्यथित आवेदनकर्ताओं ने प्रकरण स्थायी लोक अदालत में प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय स्थायी लोक अदालत बीकानेर ने 60 दिवस की अवधि में कार्यवाही पूर्ण कर, की गई कार्यवाही से प्रार्थी को

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अवगत कराने हेतु निर्देशित किया। न्यायालय स्थायी लोक अदालत बीकानेर के निर्देशों की पालना करते हुए नगर विकास न्यास बीकानेर ने प्रकरणों का निस्तारण करते हुए लीजडीड जारी करने के प्रार्थना पत्रों को निरस्त करने के आदेश पारित कर दिये। नगर विकास न्यास बीकानेर के उक्त आदेश दिनांक 28.08.2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2— अभिभाषक अपीलांट एवं स्वयं अपीलांट के वरवक्त निवेदन पर अपील में बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा 5 में उल्लेखित तथ्यों का अवलोकन एवं मनन किया। अपील अपीलांट में वर्णित तथ्यों को सही एवं उचित मानते हुए अपील को मियाद शुमार किया जाता है।

3— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री मदन सुरोलिया ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट ने आवेदन पत्र सर्व सिद्धि (प्रथम) व रिद्धि सिद्धि नगर के प्रस्तुत किये थे। उपरोक्त योजना का मानचित्र भी वरिष्ठ नगर नियोजक और नगर विकास न्यास द्वारा एवं सर्वे प्लान भी नगर विकास न्यास द्वारा स्वीकृत है, जिसकी सूचना रेस्पोडेन्ट ने दैनिक भास्कर अखबार में दिनांक 08.03.2013 को प्रकाशित करवाई थी। इसी प्लान में नगर विकास न्यास बीकानेर ने अपीलांट के पड़ोस के भूखण्डों के भी पट्टे जारी किये हुए है।

सर्वसिद्धि नगर, सर्वसिद्धि नगर प्रथम, रिद्धि सिद्धि नगर योजना अध्यक्ष, बीकानेर अनूसचित जाति जनजाति गृह निर्माण सहकारी समिति ने 1981 से 1983 में भूमि खरीद की, इन तमाम योजनाओं का नक्शा नगर विकास न्यास में उपलब्ध है। उन योजनाओं में से 70 से 80 प्रतिशत पट्टे सचिव नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा निष्पादित किये जा चुके है। अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एकतरफा तौर पर पारित किया गया हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय नगर विकास न्यास बीकानेर का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा अभिभाषक अपीलांट की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय नगर विकास न्यास बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2018 अपीलांट को बिना सुने इकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय नगर विकास न्यास बीकानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अधिनस्थ न्यायालय प्रकरण में अपीलांट को सुनकर एक माह में नियमानुसार पट्टा जारी करने की कार्यवाही करें।

5— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.03.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर